रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227397
CG-DL-E-07062021-227397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943
No. 216] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

सं. 130

सं.ईपी.**17(1)/2020.—** खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएंगे।

2. परिभाषा: इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम,1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 86, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है ताकि कथित विनियम इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"पद के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उनके समयमान (time scale) में वेतनवृद्धि मामले के अनुसार आहरित की जाएगी सिवाय जहां इन विनियमों के अंतर्गत अधिरोपित पेनल्टी के परिणामस्वरूप ऐसी वेतनवृद्धि को रोक दिया गया है।

यदि कर्मचारी दिनांक 01.01.2016 को या उसके बाद ज्वाइन हुए है अथवा होंगे, तो निगम में एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद अगले महीने की पहली तारीख को सभी वेतनवृद्धि देय होगी। उन सभी कर्मचारियों के मामले में जिंहोने दिनांक 01.01.2016 से पहले निगम में ज्वाइन किया था, उनकी वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी। यह संशोधन दिनांक 01.01.2017 से लागू होगा।

स्पष्टीकरणः निगम में समकक्ष अथवा उच्चतर पदों में सभी सेवा(सर्विस) वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाती है।

अतः उन सभी कर्मचारियों जिंहोने दिनांक 01.01.2016 के बाद निगम में ज्वाइन किया है, उन्हें संशोधित प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा और तदनुसार उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारित की जाएगी।

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./81/2021-22]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि., विनियम (चौथा संशोधन) (कर्मचारीवृंद), 2020	30.07.2020
2.	भा.खा.नि., विनियम (पांचवा संशोधन) (कर्मचारीवृंद), 2020	07.12.2020
3.	भा.खा.नि., विनियम (पहला संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	02.06.2021

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2021

No. 130

No. EP.17(1)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Second Amendment) Regulations, 2021.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendment is made in Regulation 86 of Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 so that the said regulation to be read as under :

Increments in the time scale of a post to which a person is appointed shall be drawn as a matter of course except where such increments have been withheld as a result of a penalty imposed under these regulations.

All increments shall fall due on the first date of the next month after completion of one year of service period in the corporation if the employee has joined/will be joining on or after 01.01.2016 .In case of all employees who had joined the corporation before 01.01.2016, annual increment shall be applicable from first January of every year. This amendment shall be applicable from 01.01.2017.

Explanation: All service in the corporation in equivalent or higher posts counts for increments. Therefore, all employees who joined the Corporation after 01.01.2016 will be covered under the amended provisions and their date of annual increment shall be fixed accordingly.

SEEMA KAKAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./81/2021-22]

Note:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:—

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI(Staff) (4th Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
2.	FCI(Staff) (5th Amendment) Regulations, 2020	07.12.2020
3.	FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.07 20:46:51 +05'30'